जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 18 संख्याः 153 प्रभात चूरू, मंगलवार 29 सितम्बर, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'जीएसटी अधिकारी छापे के दौरान जब्त करी गई नकदी की राशि जल्द से जल्द वापस लौटायें'

हाईकोर्ट ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं है कि वह छापे के दौरान परिसर में पाई गई नकदी जब्त कर सकते हैं

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 28 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें यह मुख्य सवाल था कि "क्या जीएसटी अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान परिसर में पायी गयी नकदी को जब्त किया जा सकता है?" न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खण्डपीठ ने कई अन्य हाईकोर्ट के आदेशों को उद्धृत करते हुए नियम को स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी अधिकारियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे छापे के दौरान परिसर में मिली नकदी व वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त कर सकें। अदालत ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत जीएसटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निवास व कार्यालयों से जितनी भी नकदी जब्त की थी, उसे जल्द से जल्द लौटायें। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए मुख्यतः अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पेश हुए थे।

- अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज़ टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल " गुड्स" (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से "मनी" (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस गैरकानूनी तरीके से नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को ना केवल ब्याज बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।
- इस मामले में छह याचिकाएं दायर करी गई थीं। मुद्दा एक ही था कि जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान गैरकानूनी तरीके से परिसर में पाई गयी नकदी को भी जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त करी, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसे ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था।

इस मामले में छह याचिकाएं एक ही मुद्दे को लेकर दायर की गई थीं कि, जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान परिसर में पाई गयी नकदी को भी गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33लाख रुपए का था, और ऐसी ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था। इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से गुहार की थी कि गैरकानूनी तरीके से जब्त की गई राशि को जीएसटी विभाग न केवल लौटाये, बल्कि जब्त की गई राशि पर ब्याज भी दे और क्षतिपूर्ति भी दे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उज्जैन में मस्जिद हटाने के विरोध में पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। सोमवार को उज्जैन में उस जगह पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जहां सड़क चौड़ी करने की परियोजना के तहत, शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराया जाना प्रस्तावित है। घटनास्थल के वीडियो से यह जानकारी मिली।

- शहर काजी ने कहा कि मस्जिद का मुद्दा सुलझ गया है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।

वीडियो में दिखा कि भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।

सड़क चौड़ी करने की यह योजना उज्जैन में किए जा रहे बड़े बुनियादी ढांचे के बदलाव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करना है। कुल 272 ढांचों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुश्तैनी घर का एक हिस्सा भी शामिल है, जिसे गिराने के काम में मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रभारी व सहप्रभारियों की बैठक बुलाई

पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश स्तर के संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नज़दीकी समन्वय स्थापित करना है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही भाजपा को चुनावी रुप से तैयार करने की कोशिश के तहत, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नव नियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक बुलाई है।

भाजपा ने 24 सितंबर को 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावड़े (चार सह-प्रभारियों के साथ), पंजाब के लिए सतीश पूनिया और उत्तराखंड के लिए राम माधव (तमिलनाडु के साथ) जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ शामिल हैं।

29 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह बैठक इस नई टीम के लिए पहला बड़ा समन्वय कार्यक्रम है और इसका सीधा संबंध इन

- इस बैठक से भाजपा यह मैसेज दे रही है कि वह 2027 के चुनावों को, नए राष्ट्रीय नेतृत्व की संगठनात्मक एकता का एक परीक्षण व परीक्षा मान रही है।

संगठनात्मक बदलावों से है। इसका उद्देश्य नबीन के अपेक्षाकृत नए एवं युवा नेतृत्व में, राज्य स्तर के नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है।

बैठक का का एजेंडा मुख्य रुप से उन राज्यों पर रहने की उम्मीद है, जहाँ चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के साथ तालमेल, उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया और केन्द्र सरकार की योजनाओं को स्थानीय चुनावी संदेश में बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पार्टी जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान को और तेज करके और योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाकर, अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर देगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड और पंजाब में मौजूदा जनाधार को मजबूत करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने और पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर विस्तार करने पर जोर रहेगा। 2027 के चुनावी चक्र में जाने वाले अन्य राज्यों के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी।

विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करना भी चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा होगा। पार्टी से ऐसी रणनीति तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को प्रमुखता दी जाएगी, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने सपा के समक्ष 150 सीटों का दावा पेश किया

कांग्रेस इस दावे के बावजूद, किसी भी तरह, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ना ही चाहती है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगले सप्ताह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं, जिनकी बात वह बातचीत के दौरान करेगी। दोनों पार्टियां कई बार कह चुकी हैं कि वे चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहती हैं, लेकिन राज्य की 403 विधानसभा सीटों का बंटवारा दोनों के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन अंतिम समझौते के लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस नेता

- जैसी चर्चा है, यूपी विधानसभा चुनाव संभवतया, फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है।
- कांग्रेस का फोकस दलित व ब्राह्मण वोटर पर रहेगा। हालांकि, मुस्लिम नेताओं को भी अहमियत दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी को व सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के इस प्रयास की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं।

राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, की मंजूरी जरूरी होगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसकी औपचारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है।

दोनों पार्टियां इस संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही हैं कि उन्हें बड़ी संख्या में सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी तरह की समानांतर तैयारियों के कारण, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से कुछ बयानबाजी भी हुई है।

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सीटों के बंटवारे की तैयारी के तहत, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को "ए", "बी" और "सी"- तीन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कोमा में चल रहे कांस्टेबल को वेतन क्यों नहीं दिया'

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल को बीते एक साल से वेतन नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी व भरतपुर एसपी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिलाते हुए इन अफसरों से पांच अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश पुलिस कांस्टेबल जोगेन्दर सिंह की पत्नी उषा की याचिका पर दिए।

- हाई कोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी तथा भरतपुर एसपी से जवाब मांगा।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति जोगेन्दर सिंह भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल हैं। वह 18 अगस्त 2024 को कार्य करते समय अचानक अस्वस्थ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक नहीं है

आस्ट्रेलिया की सरकार के स्वास्थ्य संबंधित डेटा की एआई द्वारा हुई चोरी के बाद यह तय करना जरूरी हो गया है कि एआई द्वारा लिए गए निर्णयों में अन्ततोगत्वा जवाबदेही किसकी है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। एक एआई एजेंट द्वारा ऑस्ट्रेलिया सरकार के हैल्थ पोर्टल तक बिना अनुमति पहुँचने की घटना ने बिना निगरानी वाली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के खतरों को उजागर किया है। यह घटना बताती है कि ऐसे सुरक्षा उपायों की तुरंत जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि एआई में होने वाला विकास समाज के प्रति जवाबदेह रहे।

दुनिया ऐसी मशीनें बना रही है, जो कोड लिख सकती हैं, बीमारियों का पता लगा सकती हैं, फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं और पूरे उद्योगों का स्वरूप बदल सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे

- दूसरे शब्दों में इन एआई मशीनों की पुलिसिंग कौन करेगा?

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, एक बुनियादी सवाल अब भी अनसुलझा है: इस तकनीक पर निगरानी कौन रखेगा और गलत काम होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी?

यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो गया, जब यह सामने आया कि ओपन एआई द्वारा विकसित एक एआई एजेंट ने जून में ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य आंकड़ों वाले पोर्टल तक बिना इजाज़त पहुँच बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि एजेंट ने कुछ ऐसी फाइलों तक पहुँच बनाई जो सार्वजनिक नहीं थीं। हालांकि अधिकारियों ने जोर देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है।

इस घटना की गंभीरता केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन-सी जानकारी देखी गई। बताया गया है कि एक इंटरनेट रिसर्च कार्य के दौरान काम कर रहे एआई एजेंट ने अपनी शुरुआती पहुँच की अनुमति ठुकराए जाने के बाद, कुछ प्रतिबंधों को पार कर लिया। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है: तब क्या होगा, जब कोई तेजी से स्वायत्त (ऑटोनॉमस) होता सिस्टम अपने दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए, जिनका उसके डवलपर्स ने इरादा नहीं किया हो?

अब चिंता केवल इस काल्पनिक स्थिति तक सीमित नहीं है कि मशीनें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। इसमें साइबर हमले, गलत जानकारी फैलाना, गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गॉरिद्म आधारित भेदभाव और श्रमिकों के विस्थापन की संभावना भी शामिल हैं। तेजी से अधिक स्वायत्त होते सिस्टम के इस्तेमाल ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा तंत्र तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिला सकते हैं।

यह उलझन और गहरी होती जा रही है, क्योंकि सरकारें आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एआई का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने सोमवार को शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें

- प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया।

श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, "शहीद भगत सिंह को ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और वीरता से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेक इन इंडिया को लॉन्च हुए बारह साल पूरे हो गये, पर, अभी भी इकॉनमिस्ट इस प्रोग्राम को पूर्णतया सफल क्यों नहीं मान रहे?

इन इकॉनमिस्टों का मानना है, यह प्रोग्राम पूर्णतया सफल तब माना जाएगा, जब वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहेगा, सरकारी सहयोग व सुविधाएं हट जाएंगी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। "मेक इन इंडिया" शुरू होने के बारह साल बाद देश में पहले से ज्यादा कारखाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। लेकिन केवल प्रोडक्शन बढ़ने से यह साबित नहीं होता कि भारत ने वह बुनियादी आर्थिक बदलाव हासिल कर लिया है, जिसका वादा इस पहल के तहत किया गया था। असली परीक्षा यह है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग से देश में बड़े पैमाने पर घरेलू वैल्यू एडिशन हो सकता है, लाखों लोगों को अच्छी और उत्पादक नौकरियां मिल सकती हैं और आयात की जाने वाली तकनीक तथा पुर्जों पर निर्भरता कम हो सकती है।

25 सितंबर, 2014 को की गई "मेक इन इंडिया" पहल का उद्देश्य भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र बनाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, ऑटोमोबाइल, स्टील और रक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन

- इकॉनमिस्टों के अनुसार, प्रोडक्शन लिंक इंसैन्टिव स्कीम के कारण, भारत में पूँजी निवेश बढ़ा है, उत्पादन क्षमता बढ़ी है।
- पर, औद्योगिक क्षमता में बढ़ोतरी इस बात का सबूत नहीं मानी जा सकती कि हमारे उद्योगों के कामकाज से प्रोडक्ट में कितनी "वैल्यू" बढ़ी है तथा बढ़े हुए उत्पादन से बढ़ी हुई आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा आम उपभोक्ता तक पहुँचा और साथ ही कितने रोजगार बढ़े।

मुख्य सवाल यह है कि क्या इस प्रगति से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल बदलाव आया है या यह लाभ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों और बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र प्रगति का उदाहरण भी है और सावधान रहने का कारण भी। भारत मोबाइल फोन के निर्माण और निर्यात का एक बड़ा केन्द्र बन गया है और इसने दुनिया की बड़ी कंपनियों से काफी निवेश आकर्षित किया है। लेकिन केवल मोबाइल फोन के असैंबली ऑपरेशन्स बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि टैक्नॉलजी, इन्टलैक्चुअल प्रॉपर्टी या अहम् कॉम्पोनैन्ट्स पर भारत का कंट्रोल है, जिनसे उत्पाद की कमाई का बड़ा हिस्सा तय होता है। मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था तभी वास्तव में मजबूत मानी जाएगी, जब घरेलू कंपनियां अंतिम उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली अधिक चीजों को खुद डिजाइन, विकसित और तैयार कर सकें।

प्रोडक्शन लिंक इंसैन्टिव (पी.एल.आई.) योजना ने कई उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। लेकिन केवल सरकारी प्रोत्साहन और उत्पादन के आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि सरकारी सहायता खत्म होने के बाद भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपरलीक में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ

जयपुर, 28 सितंबर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में प्रदीप खीचड़, विनोद कुमार और अशोक कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र

- द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी थी।

लीक होने से समाज और विद्यार्थियों पर विपरीत और गंभीर प्रभाव पडता है। ऐसे में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।